



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-366/2022

दिनांक- 04-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बिलिरियागंज में दर्ज FIR के फरार अभियुक्त काजी मोहम्मद अरसद (काजी गन हाऊस संचालक) पर 25000/- का पुरस्कार

घोषित

- ➔ दिनांक 27.10.2022 को उ.प्र. ATS व थाना बिलिरियागंज की संयुक्त कार्यवाही में अवैध असलहों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ जिसमें 3 अभियुक्तों आफताब आलम, मैनुद्दीन शेख, बच्चेलाल को गिरफ्तार कर चालान किया जा चुका है।
- ➔ उपरोक्त प्रकरण में थाना बिलिरियागंज में दर्ज FIR के वांछित अपराधी काजी गन हाऊस, आसिफगंज, कोतवाली के संचालक काजी मोहम्मद अरसद की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य द्वारा 25000/- का पुरस्कार घोषित किया गया है।

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना जहानागंज अंतर्गत आपत्तिजनक नारा लगाने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक- 04.11.2022 को थाना जहानागंज अंतर्गत आपत्तिजनक नारा लगाने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 437/22 धारा 153ए/188 भादवि पंजीकृत कर 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार 06 अभियुक्तों के नाम-

- 1- पप्पू खान उर्फ मोफीद आलम पुत्र हाजी मोहम्मद दरबारी निवासी इस्लामपुर (कस्बा जहानागंज) थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- मो0 अफजल पुत्र इत्तखार अहमद निवासी बरहतिल जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ ।
- 3- खुशीद अहमद पुत्र सिब्ली पहलवान निवासी पश्चिम (जहानागंज कस्बा) थाना जहानागंज आजमगढ़ ।
- 4- मकसूद आलम पुत्र हाजी मुहम्मद दरबारी निवासी इस्लामपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ ।
- 5- अब्दुल वासिद पुत्र मो0 नईम निवासी इस्लामपुर थाना जहानागंज, आजमगढ़ ।
- 6- जुबेर अहमद पुत्र मुमताज अहमद निवासी इस्लामपुर (जहानागंज कस्बा) थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना सिधारी, आजमगढ़

घरेलू/कामर्शियल गैस सिलेण्डर से छोटे गैस सिलेण्डर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना—दिनांक 03.11.2022 को वादी मुकदमा दुर्गानन्द यादव पूर्ती निरीक्षक पेट्रोलियम अनुभाग जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. दीनबन्धु पुत्र सुधीर महतो निवासी ख्वाजहाँपुर थाना चिरिया बडीयारपुल जिला बेगूसराय (बिहार) 2- कन्हैया पुत्र निरहू सा0 बिहरोजपुर मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के द्वारा घरेलू/कामर्शियल गैस सिलेण्डर से छोटे गैस सिलेण्डर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 402/2022 धारा 3/7 ईसी एक्ट के पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही थी जिसमें वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 03.11.2022 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त 1. दीनबन्धु पुत्र सुधीर महतो सा0 ख्वाजहाँपुर थाना छेरियाबरियारपुर जनपद बेगूसराय बिहार उम्र 27 वर्ष 2. अभि0 कन्हैया पुत्र निरहू सा0 बिहरोजपुर मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताये को शंकर तिराहा थाना सिधारी से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब मेरे नाम से मैक्सिमा सीएनजी भार वाहन है, ग्राम पंचायत सम्मोपुर में रहकर गैस होम डिलेवरी का काम करते है। दिनांक 31.10.2022 को गैस एजेन्सी आजमगढ़ जो सुधीर अग्रवाल की है, ग्राम विहरोजपुर से 22 गैस सिलेण्डर लादा गया था जिसमें 21 घरेलू तथा 01 कामर्शियल गैस सिलेण्डर लादकर बदरका के लिये जा रहे थे ग्राम सम्मोपुर में मै और कन्हैया

एक हाते में घरेलू/कामर्शियल गैस सिलेण्डर से गैस निकाल कर छोटे सिलेण्डर में गैर भरकर बेचते हैं। इससे जो लाभ होता है दोनों लोग बांट लेते हैं।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 402/22 धारा 3/7 EC ACT थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. दीनबन्धु पुत्र सुधीर महतो निवासी ख्वाजहांपुर थाना चिरिया जनपद बेगूसराय बिहार ,
2. कन्हैया पुत्र निरहू निवासी विहरोजपुर मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार का0 बृजमोहन थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- बरदह

चोरी की योजना बनाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी करने का उपकरण भी बरामद

दिनांक 03.11.22 को उ0नि0 श्री सतीश कुमार यादव मय हमराह बड़गहन तिराहे पर मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि बरदह मार्टिनगंज रोड कस्बा बरदह में मुख्य सड़क पर स्थित प्रताप नारायण पाठक नि0 खराट का पुराना मकान स्थित है जिसके अगल बगल जनसेवा केन्द्र मोबाइल शाप आदि की दुकाने स्थित है उसी मकान के पीछे दो व्यक्ति चोरी करने की नियत से छिपे हैं जो अपने बचाव में चाकू भी लिये हैं यदि आप लोग जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है, तत्काल मौके पर पहुँचकर मौजूद व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिये, तथा पूछताछ में अपना नाम 1. मनोज राजभर पुत्र तीरथ राजभर ग्राम बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ बताया तथा उसके कब्जे से एक अदद चाकू जो लोहे का, एक लोहे की सुम्मी नूकीलीदार बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम अंकित राजभर पुत्र विरेन्द्र निवासी बेलवाना P/S बरदह आजमगढ़ जिसके कब्जे से एक लोहे का रम्मा व एक अदद रिंच, सुम्मी लोहे का बरामद करते हुए 4.30AM हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 357/22 धारा 4/25 A Act व 382,401 IPC पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 357/22 धारा 4/25 A Act व 382,401 IPC थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1- मनोज राजभर पुत्र तीरथ राजभर ग्राम बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़
- 2- अंकित राजभर पुत्र विरेन्द्र निवासी बेलवाना P/S बरदह आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद चाकू लोहे का व एक लोहे की सुम्मी, लोहे का रम्भा, व 6 अदद रिंच तथा एक लोहे की सुम्मी

पुलिस टीम-

श्री सतीश यादव (उ0नि0) मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना पवई

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 31.8.2022 को थाना पवई में मु0अ0सं0 260/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट विरुद्ध 1.जोखन यादव उर्फ जोखई पुत्र रामदुलार निवासी चकगंजलीशाह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 2. कमला प्रसाद प्रजापति पुत्र रामबली प्रजापति निवासी चकगंजली शाह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ आदि 06 नफर के पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक फूलपुर द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण -- थानाध्यक्ष पवई राम प्रसाद बिन्द मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 260/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.जोखन यादव उर्फ जोखई पुत्र रामदुलार 2. कमला प्रसाद प्रजापति पुत्र रामबली निवासीगण ग्राम चकगंजलीशाह थाना दीदारगंज आजमगढ़ के घर पर दबिश दिया गया तो अभियुक्तगण घर के बाहर मौजूद मिले जिनको कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 5.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद गिरफ्तारी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0सं0 260/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना पवई आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

अभि0 जोखन यादव उर्फ जोखई उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 136/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60(ए) आबकारी अधिनियम।

2.मु0अ0सं0 260/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट

2. अभि0 कमला प्रसाद प्रजापति उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 136/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60(ए) आबकारी अधिनियम।

2.मु0अ0सं0 260/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. जोखन यादव उर्फ जोखई पुत्र रामदुलार ग्राम चकगंजलीशाह थाना दीदारगंज आजमगढ़
 2. कमला प्रसाद प्रजापति पुत्र रामबली प्रजापति ग्राम चकगंजलीशाह थाना दीदारगंज आजमगढ़
- गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द मय हमराह थाना पवई आजमगढ़ ।

थाना- फूलपुर

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक- 05.04.2022 को थाना फूलपुर के एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 27.03.2022 को वादी की पुत्री को विकाश शर्मा पुत्र हरिश्चन्द्र शर्मा ग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 द्वारा कही भगा ले गया है, विपक्षी के परिजनों से पूछताछ करने पर गाली दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/22 धारा 363,366,506 भादवि बनाम विकाश शर्मा उपरोक्त पंजीकृत करते हुए बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 04.11.2022 को उ0नि0 विपिन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विकाश शर्मा पुत्र हरिश्चन्द्र शर्मा ग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को माहुल मोड के पास से समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित अभियोग- मु0अ0सं0 107/22 धारा 376,363,366,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नाम विकाश शर्मा पुत्र हरिश्चन्द्र शर्मा ग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 बिपिन कुमार सिंह हे0का0 बच्चेलाल यादव थाना फूलपुर आजमगढ़ ।